अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 23–66 / 2012

पुनम कुमारी – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट्स

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय वाद संख्या 53 / 2012–13 में ज्ञापांक 1539–1 दिनांक 15.09.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में ऑगनबाड़ी अपीलवाद संख्या 23 / 2012–13 दायर किया गया जो स्थानान्तरित हो सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

उक्त अपीलवाद पटुआहा पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र–मुरलीटोला, केन्द्र संख्या– 88 से संबंधित है ।

संक्षेप में मामला यह है कि श्री मदन मोहन झा, पुतन कुमारी एवं रूद्रकांत झा सभी ग्रामीण जनता के परिवाद पत्र पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिनांक 21.07 12 को 10.30 बजे पूर्वाहन में पटुआहा पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र मुरली टोला केन्द्र संख्या – 88 की जॉच की गई वो उक्त केन्द्र संचालन में निम्नलिखत अनियमितता / त्रूटियॉ पायी गयी :–

1. केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या 15 थी ।
2. सभी पंजी की स्थिति संतोषप्रद नहीं है ।
3. ग्रोथ चार्ट संधारित है अथवा जॉच के दौरान उपलब्ध नहीं था ।
4. बच्चों की साफ–सफाई अति साधारण था ।
5. कोई बच्चा पोशाक में नहीं था
6. केन्द्र पर कोई बोर्ड, पोस्टर आदि उपलब्ध नहीं थें ।
7. जॉच के क्रम में लोगों से पूछताछ करने पर बताया गया कि बहुत किशोरी सपरिवार बाहर रहती है ।।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के क्रम में लाभुकों का

लिखित बयान एवं जॉच प्रतिवेदन के अनुसार ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा टी0एच0आर वितरण एवं ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गयी है ।

ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता/त्रुटियों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1284–1, दिनांक 04.08.12 द्वारा ऑगनबाड़ी सेविका श्रीमती पुनम कुमारी को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित होने की सूचना दी गई ।

निम्न न्यायालय में दिनांक 09.08.12 को सुनवाई की गई । सुनवाई के कम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा ग्रामीण अनुपस्थित । श्रीमती रंजनी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं श्रीमती पुनम कुमारी ऑगनबाड़ी सेविका उपस्थित हुई । श्रीमती रंजनी कुमारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा बार–बार दिए गए निदेश के बावजूद भी नियमित रूप से नहीं की गयी है। अपीलार्थी द्वारा दिए गए निदेश का अनदेखी की जाती रही है। ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा निम्न न्यायालय में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया परन्तु उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , सहरसा के ज्ञापांक 1539–1 दिनांक 15.09.12 द्वारा अपीलार्थी को ऑगनबाड़ी सेविका के पद से चयनमुक्त किया गया।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई के कम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कहरा 09.00 बजे पूर्वाहन् में पूर्व सेविका के पति राजेश झा के साथ अपीलार्थी के केन्द्र पर आए। उस समय केन्द्र पर अपीलार्थी सारे कागजातों को दुरूस्त कर रही थी तथा बच्चे केन्द्र पर आ रहे थे । तत्काल करीब 15 बच्चे आ चुके थे व निरीक्षण पदाधिकारी के सामने दस मिनट के अन्दर केन्द्र पर लगभग 20–25 बच्चे आये थे जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा निरीक्षी पदाधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्ज करने का आग्रह किया गया परन्तु वे लिखने से मुकर गए । विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा केन्द्र से संबंधित पंजी नहीं देखा गया । साथ ही निरीक्षण पंजी पर मंतव्य लिखने पर भी अपीलार्थी द्वारा बहुत आग्रह करने के पश्चात् गाड़ी में बैठने के बाद गलत तथ्य अंकित कर केन्द्र से चले गए ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते है कि निरीक्षण तिथि के बाद दिनांक 24.7.12 को उन्हें ग्रोथ चार्ट संधारित करने के लिए आवंटित किया गया । वजन मशीन उन्हें किसी भी स्तर से उपलब्ध नहीं कराया गया था। केन्द्र पर उपस्थित बच्चे पोशाक में थे एवं सभी साफ सुथरे थे । सिर्फ कृत्रिम त्रुटि निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा बनाया गया । केन्द्र निरीक्षण के समय अपीलार्थी द्वारा बोर्ड एवं पोस्टर टांगने की भी व्यवस्था की जा रही थी । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे टी.एच.आर पर लगाए गए आरोप के संबंध में कथन करते हैं कि अर्चना कुमारी पिता मोहन झा गॉव में अपने घर पर उपस्थित थी इसलिए उनका नाम टी.एच.आर पंजी में दर्ज था और टी.एच.आर का लाभ दिया गया और जब वे गॉव से बाहर चले गए तो उनका नाम चार्ट से हटा दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि संबंधित ऑगनबाड़ी केन्द्र पर जॉच हेतु पूर्व सेविका पति जो अपीलार्थी के विरोधी है

के साथ पहुँच कर जॉच पदाधिकारी द्वारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर ही पूर्व सेविका के चयन को रद्द कर किया गया था। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी पूर्व सेविका के चयन रदद् किया जाना सही ठहराया गया है । विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन निष्पक्ष नहीं है तथा इस जॉच प्रतिवेदन के आधार पर नैसर्गिक न्याय दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता सरकारी पक्ष को रखते हुए कथन करते हैं कि निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितता/त्रुटियॉ गंभीर है । केन्द्र संचालन में पायी गई 07 अनियमितताओं से स्पष्ट है कि केन्द्र नियमित रूप से संचालित नहीं था तथा केन्द्र संचालन में लापरवाही बरती गयी है ।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना । अभिलेख पर रक्षित कागजातों का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि उक्त जॉच निष्पक्ष रूप से हुई है या नहीं इसकी जॉच जिला प्रोग्राम पदाधिकारी स्वयं करने के पश्चात् उचित निर्णय लेने हेतु वाद को रिमांड किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित ,

27/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

27/1/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।